2013/00035

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 18/2013

प्रार्थी
तेजमालसिंह पुत्र मोकमसिंह
जाति राजपूत निवासी मगरा
तहसील शिव

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.पोकराराम पुत्र फूसाराम के
कायम मुकाम–
1/1.मोदनीदेवी बेवा पोकराराम
1/2.बाबुराम पुत्र पोकराराम
जाति चौधरी जाट निवासी
राणीगांव तहसील बाड़मेर हाल
बालाजी मन्दिर के पास प्लोट नं.
171 व 173 महात्मा गांधी
कालोनी, मसुरिया जोधपुर
2.राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,शिव–गडरारोड

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन),1970

उपस्थितः–1.श्री मलार खां अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी सं.01/1 व .1/2 एक तरफा।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.12.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 पोकराराम वल्द फूसाराम कौम चौधरी साकिन राणीगांव तहसील बाड़मेर को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.05.1967 को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी काश्त नहीं की है,उसका उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और न ही उसका अता–पता है। आवंटी ने सरकारी सेवा में चौकीदार पद पर रहते हुए बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये भूमि आवंटन करायी है,जो भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन है। इसलिये आवंटी पोकराराम के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।
2. प्रकरण नम्बर पर दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होने के उपरान्त हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
3. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है अप्रार्थी संख्या 01 पोकराराम को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 05.05.1967 को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया था। आवंटी पोकराराम दिनांक 07.11.1958 से 31.08.1994 तक सरकारी सेवा में चौकीदार के पद पर केन्द्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अधीन कार्यरत था, और आवंटन के दिन उसकी तैनाती ग्राम हरसाणी में थी। सरकारी सेवा में रहते हुए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये भूमि आवंटन करायी है। अप्रार्थी का आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त नहीं है, और न ही आवंटी व उसके वारिशान का वर्तमान में इस ग्राम में निवास है। इसलिये भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाए।

4. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि आवंटित भूमि पर आवंटित दिनांक से आदिनाक तक अप्रार्थी पोकराराम व उसके परिवार का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी ग्राम हरसाणी व राणीगांव में नहीं रहता है। अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज किया जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख जमाबंदी, नामान्तरकरण, खसरा गिरदावरी एंव तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पोकराराम को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का दिनांक 05.05.1967 को आवंटन किया गया था। आवंटी के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी में अंकित है,तथा खसरा गिरदावरी के अनुसार भी आवंटी पोकराराम को आवंटित भूमि पर कोई काश्त अंकित नहीं है। अप्रार्थी–आवंटी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार अभी तक नहीं दिये गये है। खसरा गिरदावरी के आधार पर आवंटन के वर्ष से आज तक अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है,तथा अप्रार्थी का आवंटित स्थल पर कोई स्थाई पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के पत्र कमांक आरटीआई–एडीएम–1 एंव तहसीलदार गडारारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी पोकराराम पुत्र फूसाराम केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अधीन राणासर में सरकारी नौकरी करता था। पोकराराम राणीगांव का निवासी नहीं है गलत पता बताकर आवंटन कराया है आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आ दिन तक आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है और उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बंजड़ दर्ज है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2070 से भी इसकी पुष्टि होती है। राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(3) एंव 14(8)(a) में आवंटन की शर्ते निम्नानुसार निर्धारित है:–

जिला कलक्टर
बाड़मेर

14(3)The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second year.

14(8)The land shall be liable to be resumed by the state Government without payment of compensation if –

(a)it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilized.

6. अतः आवंटी पोकराराम द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन से लगाकर आज दिन तक कोई काश्त नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी के सरकारी सेवा में रहते हुए बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये एंव आवंटित सुदा भूमि पर काश्त न कर आवंटी द्वारा नियम 14(3) एंव 14(8)(a) में उल्लेखित शर्तो की पालना नही की गई है,बल्कि उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप आवंटी के पक्ष में किया गया उपरोक्त भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी पोकराराम पुत्र फूसाराम के पक्ष में ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का दिनांक 05.05.1967 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार,गडररोड को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर,पारित नामान्तरकरण एंव जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय के अभिलेख हेतु उपलब्ध करावें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर